

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 221/2019

बैंक ऑफ बडौदा  
शाखा कार्यालय:- ब्यावर रोड, अजमेर।  
अजमेर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

- (1) श्रीमती राजकुमारी सोनी पत्नी श्री राम किशन सोनी
- (2) श्री सचिन सोनी पुत्र श्री राम किशन सोनी

पता:- मकान नं० 14/92, सरावगी मोहल्ला, नया बाजार, अजमेर (राज०)

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सटक्शन  
आफ फाईनेनशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपरिस्थित :- श्री सन्दीप गोयल

अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 23.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्रीमती राजकुमारी सोनी पत्नी श्री राम किशन सोनी व श्री सचिन सोनी पुत्र श्री राम किशन सोनी, निवासी- मकान नं० 14/92, सरावगी मोहल्ला, नया बाजार, अजमेर (राज०) को दिनांक 19.07.2017 को रु 20,00,000/- (अक्षरे बीस लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर फॉय सागर रोड, अजमेर स्थित प्लॉट नं० 3, ए०एम०सी नं० 21/640 का भाग, चौधरी भवन, चर्तु सीमाएं:- पूर्व में:-प्लॉट नं० 2, पश्चिम में:- अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में:-आम रास्ता, दक्षिण में:-अन्य की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 29.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 03.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 19,95,168.40/- (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख पिचानवे हजार एक सौ अडसठ एवं पैसे चालीस मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2)



*Signature*


जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति फॉय सागर रोड, अजमेर स्थित प्लॉट नं० 3, ए०एम०सी नं० 21/640 का भाग, चौधरी भवन, चर्तु सीमाएं:- पूर्व में:-प्लॉट नं० 2, पश्चिम में:- अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में:-आम रास्ता, दक्षिण में:-अन्य की सम्पत्ति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को सुनाया गया।



  
( विश्व मोहन शर्मा )  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर